(3)

कार्यालय नगर पंचायत – रोसड़ा

पत्रांक : 1504 दिनांक : 10/7/2018

प्रेषक : कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत रोसड़ा।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा),
प्रधान महालेखाकार का कार्यालय,
बिहार, सामाजिक प्रक्षेत्र–1,
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना।

द्वारा : लेखा परीक्षा अधिकारी, शहरी स्थानीय निकाय, सोशल सेक्टर–1, बिहार, पटना।

विषय : नगर पंचायत रोसड़ा में निरीक्षण प्रतिवेदन सं0–673/11–12 (अवधि 2009–10 से लेकर 2010–11 तक) के प्रतिवेदन के अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण।

प्रसंग : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा के पत्रांक–14303/836 दिनांक–09.12.10.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक नगर पंचायत रोसड़ा के अंकेक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन सं0–673/2011–12 (अवधि 2009–10 से लेकर 2010–11 तक) के आपत्ति कंडिकाओं के समाधान एवं सुझाव के आलोक में अनुपालन संबंधित कृत कारवाई एवं संबंधित आशय का साक्ष्य संलग्न कर कंडिकावार प्रतिवेदन समर्पित की जाती है।

अनुरोध है कि प्राप्ति स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :–
अनुपालन प्रतिवेदन
एवं कंडिकावार संबंधित साक्ष्य की प्रति।

विश्वासभाजन
ह0
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत रोसड़ा।

ज्ञापांक : 1504 दिनांक : 10/7/2018

प्रतिलिपि : विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न करते हुए आवश्यक कार्यार्थ सादर समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत रोसड़ा।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत रोसड़ा
(समस्तीपुर)

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–673/2011–12

अवधि 2009–10 से 2010–11
निकाय का नाम : नगर पंचायत रोसड़ा, (समस्तीपुर)

अंकेक्षण आपत्ति अनुपालन प्रतिवेदन

कंडिका	आपत्ति	अनुपालन की स्थिति/साक्ष्य
1	प्रस्तावना	N/A
2	प्रशासन	N/A
3	अंकेक्षण कार्यक्षेत्र अन्तर्गत परिशिष्ट– I 'ख' में दर्शाया गया अभिलेख पंजी उपस्थापित / संधारित नहीं किया जाना।	परिशिष्ट I 'ख' में दर्शायी गयी अभिलेख/पंजी में निम्नांकित पंजी/अभिलेख नगर पंचायत में संधारित एवं उपलब्ध है :– भवन दूकान इत्यादि का मांग वसूली पंजी उपलब्ध है।(छायाप्रति संलग्न) सेवा पुस्तिका उपलब्ध है :– (नमूना हेतु एक सेवापुस्त की छायाप्रति संलग्न) जिला योजना समिति द्वारा पारित योजना की सूची उपलब्ध है।(छायाप्रति संलग्न) भविष्यनिधि पंजी संधारित है। छायाप्रति संलग्न। अग्रिम पंजी संधारित है(छायाप्रति संलग्न) अनुदान सं0 स्वीकृति पत्र उपलब्ध है।(छायाप्रति संलग्न) कोषागार पासबुक उपलब्ध है। छायाप्रति संलग्न। कार्यान्वित योजना से संबंधित संचिका मापीपुस्त अभिश्रव उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सूची में दर्शाये गये अभिलेख में कई अभिलेख के संबंध में ज्ञात हुआ है कि अभिलेख संधारित है परन्तु पुराने कर्मी की अनुपलब्धता के कारण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है इस हेतु प्रयास/कारवाई की जा रही है साथ ही, जो अभिलेख संधारित नहीं है, उसे संधारित कर उपस्थापित करने हेतु कार्यालय के पत्रांक–1417 दिनांक–21.06.2018 द्वारा लेखापाल–सह–प्रधान सहायक नगर पंचायत रोसड़ा को निदेशित किया गया है। छायाप्रति संलग्न।
4	पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन	पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मे उपलब्ध नहीं है साथ ही ही पूर्व के कर्मी के सेवानिवृत होने के कारण पुराने अभिलेख /पंजी/संचिका भी कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तात्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी एवम् कर्मी की उदासीनता के कारण पूर्व वर्षो का अंकेक्षण का कोई प्रतिवेदन एवं पूर्व में अनुपालन की स्थिति संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं है। जिस कारण वर्तमान में पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन संभव नहीं हो पा रहा है। पूर्व के प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपस्थापित करने हेतु पत्रांक–1417 दिनांक– 21.06.2018 द्वारा लेखापाल–सह–प्रधान सहायक नगर पंचायत रोसड़ा को निदेशित किया गया है। संबंधित अभिलेख की छानबीन की जा रही है। साथ ही वर्ष–2009–10 एवं 2010–11 के अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न कर भेजी जा रही है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत रोसड़ा
(समस्तीपुर)

5	लेखा परीक्षा में प्रमुख उपलब्धियाँ।	दर्शायी गयी आपत्ति राशि का समाधान विवरणी उपलब्ध रोकड़बही एवं बैंक जमा चालान एवं पारित अभिश्रव के आलोक में तैयार की गयी है, जिसमें अधिकांश राशि का समाधान विवरणी इस प्रतिवेदन में साक्ष्य सहित आगे उल्लेखित है। शेष बचे कंडिका/आपत्ति का अनुपालन हेतु साक्ष्य एवं अभिलेख की छानबीन की जा रही है। इस संबंध में कार्यालय के पत्रांक–1417 दिनांक–21.06.2018 द्वारा लेखापाल–सह–प्रधान सहायक नगर पंचायत रोसड़ा को निदेशित किया गया है। पत्र की प्रति संलग्न है। **इस प्रतिवेदन के सुझाव के आलोक में अनुपालन की उपलब्धियाँ –** **वसूल की गयी राशि– मो0–6.57 लाख।** **अग्रिम समायोजन राशि– 11.76 लाख।** **वस स्टैंड से वसूली– 10.96 लाख।** **कंडिका 21 का समाधानित राशि– 12.14 लाख।**
6	आंतरिक लेखा परीक्षा।	नगर पंचायत के अभिलेख/कार्यवाही पंजी के अवलोकन में पाया गया है कि नगर पंचायत की बोर्ड की बैठक द्वारा लोक लेखा समिति गठित की गयी थी। लोक लेखा समिति की बैठक भी की गयी थी, जिसमें आय एवं व्यय की समीक्षा किये जाने का जिक्र है। परन्तु नियमित रूप से लोक लेखा समिति के बैठक होने संबंधी कोई पंजी/संचिका/प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है। (साक्ष्य–लोक लेखा समिति की बैठक की छायाप्रति संलग्न) इसके अतिरिक्त पूर्व में आंतरिक अंकेक्षण भी अधिकृत चार्टड एकाउण्टेंट पी0 ज्योति एण्ड कम्पनी, समस्तीपुर द्वारा कराया गया, जिसके विपत्र भुगतान का जिक्र कंडिका–25 में उल्लेखित है। ज्ञात हो कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा आंतरिक अंकेक्षण हेतु अधिकृत एजेंसी A.P Sanzgiri & Co. चार्टड एकाउण्टेंट द्वारा वर्तमान में आंतरिक अंकेक्षण कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। (साक्ष्य–उपलब्ध आंतरिक अंकेक्षण संबंधित जुलाई–2017 से सितम्बर–2017 का त्रैमासिक प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न)
7(i)	कोषागार पासबुक अद्यतन उपलब्ध नहीं होना एवं सहायक रोकड़ वही संधारित नहीं होना।	कार्यालय में उपलब्ध कोषागार पासबुक के अवलोकन में पाया गया है कि पासबुक अप्रैल–2012 से दिसम्बर–2017 तक संधारित है जिसका सत्यापन कोषागार पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है। (साक्ष्य–कोषागार पासबुक की छायाप्रति संलग्न/C.T.M.I.S प्रतिवेदन मार्च–2011 से लेकर 31.03.2018 तक की छायाप्रति संलग्न) नगर पंचायत में सभी मदों का सहायक लेखा बही उपलब्ध है जो वर्ष–2015 तक संधारित है परन्तु उक्त बही पर तात्कालीन पूर्व के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है।साक्ष्य–उपलब्ध सहायक रोकड़बही एवं कोषागार पासबुक की पृष्ट की छायाप्रति संलग्न।
7(ii)	दो कोषागार पासबुक का संधारण।	नगर पंचायत रोसड़ा में वर्तमान में एक ही कोषागार पासबुक कार्यालय द्वारा अवलोकन कराया गया है , जिसे कोषागार पदाधिकारी द्वारा माह अप्रैल–2012 से दिसम्बर–2017 तक के प्राप्ति एवं भुगतान को दिनांक–22.02.2018 को सत्यापित किया गया है। (साक्ष्य–कोषागार पासबुक की छायाप्रति संलग्न)
8	लेखा बहीयों की स्थिति।	(i) SJSRY अन्तर्गत शहरी गरीबी निवारण कार्यक्रम (ii) सभी विकास योजना। (iii) SJSRY माइक्रोइंटर प्राइजेज योजना।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, रोसड़ा
(समस्तीपुर)

		(iv) SJSRY, वेज इम्प्लामेंट योजना। (v) नागरिक सुविधा। (vi) I.D.S.M.T (vii) SJSRY वेज इम्प्लामेंट योजना। (viii) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम। (ix) SJSRY (SGN कार्यक्रम) (x) SJSRY प्रशिक्षण योजना। (xi) SJSRY माइक्रोइंटर प्राइजेज स्कीम। वर्णित सभी मदों के सहायक रोकड़ बही को दिसम्बर–2017 तक संधारित किया जा चुका है। जिसपर तात्कालीन पदाधिकारीयों का हस्ताक्षर नहीं है। छायाप्रति संलग्न।
		पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम अन्तर्गत जिला योजना समिति द्वारा पारित योजनाओं का कार्यान्वयन कर राशि व्यय करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जिला कार्यालय को भेजी जा चुकी है। (साक्ष्य–संधारित सहायक रोकड़बही पृष्ट की छायाप्रति। BRGF मद में व्यय उपरांत प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र की छायाप्रति कंडिका–24 के साथ संलग्न। आवंटित राशि–1,37,26,105.00, व्यय-राशि–1,37,26,105.00)
9	रोकड़ बही की त्रूटियाँ।	नगर पंचायत रोसड़ा में पूर्व से संधारित रोकड़ बही विहित नियम अनुसार संधारित नहीं है, तात्कालीन पदाधिकारी द्वारा रोकड़ बही/अभिलेख पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है। वर्तमान में अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नियमानुसार सभी प्रविष्टि तभी संभव हो सकेगा, जब तात्कालीन अवधि के सभी अभिलेख/पंजी/रशीद बुक उपलब्ध हों। वर्णित स्थिति में अभिलेखों की अनुपलब्धता में लेखा–बही का संधारण कराया जाना संभव नहीं प्रतीत होता है, फिर भी लेखा–बही/रोकड़ बही के संधारण हेतु अभिलेख/पंजी की छान–बीन की जा रही है। एवं संबंधित सभी अभिलेख संधारित कर उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक–1417 दिनांक–21.06.2018 द्वारा लेखापाल–सह–प्रधान सहायक नगर पंचायत रोसड़ा को निदेशित किया गया है।
10	अनुदान ।	वित्तीय वर्ष–2009–10 से 2011–12 तक की अवधि के अनुदान आवंटन की पंजी संधारित नहीं है, कुछ स्वीकृति पत्र उपलब्ध है। कोषागार पंजी को माह अप्रैल–2012 से दिसम्बर 2017 तक संधारित किया जा चुका है, जिसका सत्यापन कोषागार पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है। संबंधित मदों के आवंटन जमा संबंधित बैंक पासबुक भी अद्यतन संधारित किया जा चुका हैं (साक्ष्य–पासबुक पृष्ठ एवं कोषागार पंजी पृष्ठ की छायाप्रति।)
11	ऋण एवं ऋण विनियोग पंजी का संधारित नहीं होना।	नगर पंचायत रोसड़ा में कार्यालय में कोई ऋण एवं ऋण विनियोग पंजी संधारित नहीं है, साथ ही पूर्व वर्षो में प्राप्त ऋण संबंधित संस्वीकृति पत्र भी उपलब्ध नहीं है, जिससे ऋण पंजी संधारित कराया जा सके। अंकेक्षण कंडिका में आपत्ति अनुपालन के क्रम में लेखापाल–सह–प्रधान सहायक नगर पंचायत रोसड़ा को पूर्व में प्राप्त ऋण संस्वीकृति पत्र एवं पूर्व में वापसी की गयी ऋण राशि का विवरणी उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक–1417 दिनांक–21.06.2018 द्वारा लेखापाल–सह–प्रधान सहायक नगर पंचायत रोसड़ा को निदेशित किया गया है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत रोसड़ा
(समस्तीपुर)

12	वर्ष–2009–10 से 2010–11 का बजट तैयार नहीं किया जाना।	नगर पंचायत रोसड़ा के तात्कालीन बोर्ड एवं कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा वर्ष–2009–10 एवं 2010–11 का बजट तैयार नहीं कराया गया था। इस संबंध में कार्यालय में बजट तैयार नहीं करने संबंधित कोई कारण/निर्णय संबंधित साक्ष्य नहीं है। परन्तु 13.04.2012 को नगर पंचायत रोसड़ा बोर्ड की बैठक में वित्तीय वर्ष–2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 में व्यय की गई राशि का बहुमत से अनुमोदन किया गया है। साक्ष्य–बैठक दिनांक–13.04. 2012 की कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न।
		अंकेक्षण प्रतिवेदन में आपत्ति के अनुपालन में रोसड़ा नगर पंचायत में वर्ष–2013–14 से बजट तैयार किया गया है। उक्त बजट का अनुमोदन भी बोर्ड की बैठक दिनांक–08.05.2013 द्वारा किया गया है। (साक्ष्य– बजट–2013–14 की छायाप्रति। बोर्ड की बैठक 08.05. 2013 की छायाप्रति संलग्न।) विदित प्रपत्र में बजट तैयार कर विभाग को भेजने की तैयारी की जा रही है। वर्तमान में वगैर बजट अनुमोदन के कोई व्यय नहीं की जा रहीं है। (साक्ष्य–बजट वर्ष–2018–19 प्रारूप की छायाप्रति।) बजट तैयार होने के वाबजूद बैठक द्वारा अनुमोदन नहीं होने के कारण लंबित है।
13	वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया जाना।	नगर पंचायत रोसड़ा मे लेखापाल के द्वारा पूर्व से वार्षिक लेखा विवरणी तैयार नहीं किया जाता रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि तात्कालीन अवधि में सभी रोकड़ बही, पंजी स–समय संधारित नहीं रहने के कारण वार्षिक लेखा विवरणी तैयार नहीं किया जा सका था। अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में इस संबंधित निर्देश के अनुपालन हेतु लेखापाल को कार्यालय के पत्रांक–1417 दिनांक–21.06.2018 द्वारा लेखापाल–सह–प्रधान सहायक नगर पंचायत रोसड़ा वार्षिक लेखा प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। वर्तमान में विभाग द्वारा अधिकृत आंतरिक अंकेक्षण हेतु चार्टड एकाउण्टेंट द्वारा त्रैमासिक लेखा विवरणी/विवरणी तैयार किया जा रहा है। (साक्ष्य–लेखापाल को प्रेषित पत्र की प्रति ।) वर्तमान अवधि के चार्टड एकाउण्टेंट द्वारा समर्पित त्रैमासिक प्रतिवेदन।
14	भवन कर वसूली पंजी का संधारण नहीं होना एवं निजी, व्यवसायिक, सरकारी भवनों की संख्या बकाया की स्थिति उपलब्ध नहीं होना।	नगर पंचायत रोसड़ा में कर वसूली का कार्य कमीशन पर कर्मी रख कर कराया जा रहा है। कार्यालय में अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में निरीक्षण में पाया गया है कि कार्यालय में होल्डिंग कर से वसुली संबंधित दैनिक संग्रह पंजी (DCR) संधारित है एवं पूर्व से संधारित मांग पंजी भी उपलब्ध है। कर संग्राहकों /लेखापाल–प्रधान सहायक एवं अन्य कार्यरत कर्मी को अद्यतन मांग पंजी, सरकारी भवनों पर बकाया की सूची, व्यवसायिक भवनों व नीजी भवनों पर बकाया की सूची समर्पित करने हेतु कार्यालय के पत्रांक–1417 दिनांक–21.06.2018 द्वारा निदेशित किया गया है। (साक्ष्य– (पूर्व के संधारित DCR पृष्ठ की छायाप्रति, पूर्व के Demand रजिस्टर पृष्ठ की छायाप्रति)
15	टीन टिकट की वन्दोवस्ती नहीं किया जाना।	नगर पंचायत रोसड़ा में वर्ष–2010–11 हेतु टीन टिकट की वन्दोवस्ती नहीं किये जाने के संबंधित संचिका की मांग करने पर

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत रोसड़ा
(समस्तीपुर)

		कार्यरत कर्मी के द्वारा बताया गया कि टीन टिकट की वन्दोवस्ती वित्तीय वर्ष–2007–08 से पूर्व से ही नहीं हो रही है। कारण के संदर्भ में बताया गया कि बोर्ड के निर्णय/आदेश में इस आशय का प्रस्ताव पारित है कि टीन टिकट की वन्दोवस्ती नहीं की जाय, परन्तु इस संबंध में कोई साक्ष्य,आदेश कार्यवाही की प्रति उपलब्ध नहीं है। संबंधित निर्णय के साक्ष्य की छानबीन की जा रही है। कार्यालय के पत्रांक–1417 दिनांक–21.06.2018 द्वारा लेखापाल–सह–प्रधान सहायक नगर पंचायत रोसड़ा को निदेशित किया गया है।
16(i)	बस पड़ाव एवं अन्य सैरातों की वन्दोवस्ती नहीं होने के कारण राजस्व हानि।	नगर पंचायत रोसडा में बंदोवस्ती की अवधि 2.06.2004 को समाप्त होने के बाद बस पड़ाव को अन्यत्र स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया, जिसपर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के अन्तर्गत बन्दोवस्ती को यथा स्थिति बनाये रखे जाने का निर्देश दिया गया। (माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति) इसके उपरांत संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा के पत्रांक–469 दिनांक–28.02.2015 द्वारा जिला पदाधिकारी समस्तीपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार राशि निर्धारित कर निजी बस पड़ाव अधिसूचित किया गया है जो अबतक चालू है। (साक्ष्य–पत्र की छायाप्रति संलग्न।) वर्ष–2009–10 से 2011–12 तक की अवधि में नगर पंचायत रोसड़ा द्वारा विभागीय तौर पर कर्मी रखकर बस पड़ाव से राजस्व हित में वसूली कार्य कराया गया। बस स्टैंड संबंधित संचिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि तात्कालीन बोर्ड/पदाधिकारीयों द्वारा वर्ष–2004 के पश्चात वन्दोवस्ती की कोई कारवाई नहीं की गयी है एवं दैनिक पारिश्रमिक पर दो कर्मी रखकर बस स्टैंड से वसूली कार्य कराया गया है। विभागीय तौर पर निम्नांकित वसूली की गयी है जिसकी प्रविष्टि उपलब्ध रोकड़ बही में दर्ज है। वित्तीय वर्ष — कुल वसूली राशि — नगर पंचायत कोष में जमा राशि 2009–10 — 3,42,646.00 — 3,42,646.00 2010–11 — 4,34,000.00 — 4,34,000.00 2011–12 — 3,20,500.00 — 3,20,500.00 कुल – 10,96,646.00 इस प्रकार विभागीय वसूली कर बस पड़ाव मद में मो0–10,96,646.00 मात्र नगर पंचायत कोष में जमा किया गया है जिसके साक्ष्य स्वरूप कैशबुक पृष्ठ जमा चालान की छायाप्रति संलग्न है। तात्कालीन अवधि में बस पड़ाव की बन्दोवस्ती के संबंध में बोर्ड द्वारा कोई निर्णय नहीं लिये जाने के कारण बन्दोवस्ती नहीं की गयी, परन्तु राजस्व वसूली हित में विभागीय तौर पर बस पडाव से वसूली कार्य किया गया था। कार्यालय में कर्मी की कमी के स्थिति मे ही बस पड़ाव से वसूली हेतु दैनिक पारिश्रमिक पर कर्मचारी रखकर वसूली कार्य कराया गया था। अतः तात्कालीन अवधि में हुए वसूली को देखते हुए एवं वर्तमान में जारी व्यवस्था के मद्देनजर आपत्ति निरस्त करने की कृपा की जाय।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत रोसड़ा
(समस्तीपुर)